इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 10 मई, 2021 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
विनियामकों के कथन ----------7
आर्थिक संवेष्टन ----------9
नयी नियुक्तियाँ ---------- 9
विदेशी मुद्रा ---------- 9
शब्दावली----------11
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------11
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------11
संस्थान समाचार ----------12
नयी पहलकदमी ----------16
बाजार की खबरें ----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 1ली द्विमासिक बैठक 2021-22 : मुख्य विशेषताएँ

मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2021-22 की 1ली द्विमासिक बैठक 5 से 7 अप्रैल, 2021 तक आयोजित हुई। उक्त बैठक की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार रहीं :

- निभावपरक नीतिगत रुख बनाए रखने के लिए पुनर्खरीद (repo) दर 4% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- प्रतिवर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 3.35% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रखी गई।
- सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) को चलनिधि प्रबंधन हेतु एक अतिरिक्त साधन बनाया गया।
- सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम को सामान्य चलनिधि परिचालनों के साथ जारी रखा जाएगा।
- वर्ष 2021-22 की 1ली तिमाही के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूति अभिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वर्ष के लिए विनियमन पुनरीक्षण प्राधिकरण का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई, 2021 से अपने उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव के नेतृत्व में एक नए विनियमन पुनरीक्षण प्राधिकरण (RRA 2.0) का गठन किया है। एक वर्ष की अवधि के लिए परिचालनीय उक्त विनियमन पुनरीक्षण प्राधिकरण केंद्रीय बैंक के विनियमनों एवं अनुपालन कार्यविधियों को जहां कहीं भी आवश्यक हो प्रचुरताओं और पुनरावृत्तियों को हटाकर, विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन से संबन्धित भार को घटा कर उन्हें युक्तिसंगत और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनका पुनरीक्षण करेगा। उसके द्वारा किए जाने वाले कुछेक अन्य कार्यों में विनियमित संस्थाओं से कार्यविधियों के सरलीकरण, अनुपालन की सहूलियत को बढ़ाने, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों को प्रसारित करने में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करने तथा उन्हें सुझाने के लिए विनियमित संस्थाओं से प्रति-सूचना प्राप्त करने का समावेश होगा। उक्त प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये उक्त प्राधिकरण आंतरिक और बाह्य स्तर की सभी संस्थाओं से संपर्क करेगा।

वर्तमान में प्रतिचक्रीय पूंजी भंडार को सक्रिय बनाने की कोई जरूरत नहीं

कुछ वर्ष पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 फरवरी, 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी भंडार (CCyB) के संबंध में एक ऐसे ढांचे का सृजन किया गया था जिसमें उसने यह सलाह दी थी कि उक्त प्रतिचक्रीय पूंजी भंडार का सृजन जब कभी परिस्थितियां उसे आवश्यक बनाएँगी तब समान्यतया एक पूर्व-घोषित निर्णय के माध्यम से किया जाएगा। उक्त ढांचे में जमा की तुलना में ऋण अनुपात जैसे अन्य अनुपूरक संकेतकों के साथ सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋणगत अंतर, औद्योगिक प्रत्याशा निर्धारण सर्वेक्षण, ब्याज व्याप्ति अनुपात और आस्ति की गुणवत्ता को मुख्य संकेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा प्रतिचक्रीय पूंजी भंडार के संकेतकों की अनुभवजन्य जांच की और यह निर्णय किया कि इस समय प्रतिचक्रीय पूंजी भंडार को सक्रिय किए जाने की जरूरत नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के पुनरीक्षण के लिए भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया

वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) की कार्यप्रणाली का व्यापक पुनरीक्षण करने हेतु शीर्ष बैंक द्वारा अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री सुदर्शन सेन के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। प्राथमिक तौर पर उक्त पैनल को इस बात का पता लगाने के लिए कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकती हैं इसके बारे में उपायों की सिफ़ारिश करने, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर लागू होने वाले मौजूदा विधिक एवं विनियामक ढांचे की समीक्षा करने, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के उपायों की सिफ़ारिश करने का कार्य सौपा गया है। उक्त पैनल से अपनी रिपोर्ट उसकी पहली बैठक की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

प्राप्य राशियों का उपयोग करने में विफल वैश्विक महामारी से प्रभावित बाह्य विदेशी उधारकर्ताओं को राहत

कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पहले से आहरित बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग करने में बाह्य विदेशी उधारकर्ताओं के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने एक एकबारगी उपाय के रूप में वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे के तहत उन शर्तों को शिथिल करणे का निर्णय लिया है जो उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त होने वाली राशियों को भारत में स्थित बैंकों के पास 12 माह की अधिकतम अवधि के लिए सावधि जमाराशियों में रखने की अनुमति देती हैं। तदनुसार 1 मार्च, 2020 को या उससे पहले आहरण द्वारा कमी (deawn down) से संबन्धित बाह्य वाणिज्यिक उधार से प्राप्त अप्रयुक्त राशियों को अब भविष्यलक्षी प्रभाव से 1 मार्च, 2022 तक भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारी (AD) श्रेणी I वाले बैंकों के पास जमा किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 21 के लिए लाभांश घोषणा पर रोक आंशिक रूप से हटाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लाभांशों की घोषणा से संबन्धित अपने परिपत्र में बैंकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपने लाभों से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दे दी है, बशर्ते लाभांश की मात्रा लाभांश अदायगी अनुपात के अनुसार निर्धारित रकम के 50% से अधिक न हो। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को भी 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभों से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दी है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

पिछले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित किए जाने चाहिए

वित्तीय समावेशन की समग्र योजना में उसके (वित्तीय समावेशन के) महत्व को देखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान के स्तर को मापने के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI Index) निर्मित करने तथा उसे आवधिक आधार पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। उक्त सूचकांक कई एक मापदण्डों पर आधारित होंगे तथा वे देश में वित्तीय समावेशन की व्यापकता एवं गहनता को प्रतिबिम्बित करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं के बीच समान अवसर सृजित करने हेतु परिवर्तन किए

बैंकों और बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं के लिए प्रतियोगिता के समान अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछेक परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। उसने डिजिटल भुगतान फ़र्मों, अपने ग्राहक को जानिए (KYC) प्रक्रिया के पूर्णत: अनुपालक पूर्व-प्रदत्त लिखतों तथा स्वीकृति की सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए अंतर-परिचालनीयता को अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसने अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया

के पूर्णत: अनुपालक पूर्व-प्रदत्त लिखतों को वे वर्तमान में जितना बकाया शेष रखते हैं उसका दो गुना यथा- 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए रोक रखने की अनुमति दे दी है। अब प्रयोक्ताओं को तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (NEFT) लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी करने हेतु ई-वैलेटों और फिंटेक कंपनियों से नकदी आहरित करने की अनुमति है। नकदी आहरण की यह सुविधा बैंकेतर पूर्व -प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं के अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया के पूर्णत: अनुपालक पूर्व प्रदत्त लिखतों को भी दी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर का कहना है कि इस सुविधा से नकदी तक पहुँच अधिक सहज हो जाएगी, इसप्रकार नकदी को वास्तविक रूप से रखने की आवश्यकता में कमी आएगी तथा प्रणाली में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके भी अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं, श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों, कार्ड जारीकर्ताओं, व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली प्लेटफार्मों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों, यथा तत्काल सकल भुगतान प्रणाली/राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली की प्रत्यक्ष सदस्यता ग्रहण करने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव भी रखा है।

निजी बैंक के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यकाल 15 वर्ष पर सीमित किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों तथा विदेशी बैंकों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनियों के प्रबंध निदेशकों (MDs) और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEOs) का कार्यकाल 15 वर्ष पर सीमित कर दिया गया है। उन्हें इस परिवर्तन का अनुपालन करने हेतु 1 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। अपना कार्यकाल पूरा करने बाद व्यावसायिक प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक न्यूनतम तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात उसी बैंक में नियुक्ति के पात्र होंगे।

15,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्तियों वाले बैंकों के लिए दो लेखा-परीक्षक रखना आवश्यक होगा

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित मानदंडों के अनुसार पिछले वर्ष की समाप्ति पर 15,000 रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले वाणिज्यिक बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए अब कम से कम दो ऐसे लेखा-परीक्षक रखने होंगे जो एक-

दूसरे से असम्बद्ध हों। उन्हें सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वार्षिक आधार पर पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इन लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति 3 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए की जानी होगी। किन्तु उस अवधि के दौरान किसी लेखा-परीक्षक का निष्कासन केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ किया जा सकता है।

विनियामकों के कथन

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का निर्देश : वैश्विक महामारी की स्थिति के प्रति सावधान रहें, अपना ऋण प्रवाह बढ़ाएँ

देश में वैश्विक महामारी किस प्रकार पुन: पाँव पसार रही है इस पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ एक बैठक की और उन्हें सावधान बने रहने तथा विशेषत: उनके तुलनपत्रों को सुदृढ़ बनाने हेतु पूंजी बढ़ाने की दृष्टि से सक्रिय उपाय करने के लिए चेतावनी दी। श्री दास ने अन्य बातों के साथ ही उप गवर्नर श्री एम॰ के॰ जैन और श्री एम॰ राजेश्वर राव के साथ हाल के आर्थिक पुनरुत्थान को टिकाये रखने की दृष्टि से चलनिधि परिदृश्य, मौद्रिक प्रेषण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा खुदरा जैसे दबावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह पर चर्चा की।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उप गवर्नरों और लघु वित बैंकों के अधिकारियों ने तुलनपत्रों पर संभाव्य दबाव पर विचार किया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने उप गवर्नरगण श्री एम॰ के॰ जैन, श्री एम॰ डी॰ पात्रा, श्री एम॰ राजेश्वर राव और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर अन्य मुद्दों के साथ ही तुलनपत्रों पर संभाव्य दबाव की संभावना तथा चलनिधि परिदृश्य पर चर्चा करने हेतु लघु वित्त बैंकों (SFBs) के साथ वीडियो कान्फरेंस की। श्री दास ने उनकी व्यावसायिक आघात-सहनीयता बनाए रखने और जोखिमों का समझदारीपूर्वक प्रबंधन करने की दृष्टि से पर्यवेक्षी अपेक्षाओं पर बल

दिया। गवर्नर ने लघु वित्त बैंकों को उनकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को भी स्वयम उनके तथा उनके ग्राहकों के हित में सुदृढ़ बनाते हुये उनका ध्यान ग्राहक परिवाद निवारण प्रक्रिया पर केन्द्रित करने की सलाह दी।

मुक्त बैंकिंग से संभाव्य रूप से उल्लेखनीय जोखिम उपस्थित हो सकते हैं : राव

टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा ब्राज़ील में स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से मुक्त बैंकिंग पर आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा कि मुक्त बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में एक संभाव्य विदारक तत्व है तथा वह ग्राहकों और बैंकों, दोनों के लिए बैंकिंग व्यवसाय करने के तरीके को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि "अब विशुद्ध रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली संस्थाओं में सुस्थापित किन्तु पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं से बाजार अंश को छीन लेने की शक्यता मौजूद है, क्योंकि वे प्रौद्योगिकीय रूप से अधिक उन्नत, ग्राहक की जरूरतों को उच्चतर कार्यकुशलता के साथ पूरा करने के लिए डिजिटल रूप से फुर्तीले हैं, उनके पास बेहतर प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ उपलब्ध हैं तथा वे मूल्य-निर्धारण में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं।" हालांकि, श्री राव ने उन जोखिम सरणियों भी बल दिया जो इस नए विनाशक के साथ उपस्थित हो सकते हैं। उनहोनने कहा कि सभी हितधारकों के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि जहां प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहीं ग्राहक की निजता और डाटा संरक्षण अपरक्राम्य पहलू हैं।

मुक्त बैंकिंग में डाटा एकत्रीकरण में संलग्न फिन्टेक फ़र्मों, मध्यवर्ती फ़र्मों और अन्य सेवा-प्रदाताओं जैसे व्यापक श्रेणी वाली ऐसी अन्य पक्ष व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनमें उस बैंक के साथ संविदात्मक करार नहीं हो सकते जिन पर विनियामक अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा, यह संभव हो सकता है कि इनमें से कतिपय फ़र्में वित्तीय क्षेत्र के किसी भी विनियामक के विनियामक क्षेत्र में न आती हों। ऐसी स्थिति में विनियामकों के लिए आवश्यकताओं, निर्देशनों का निर्धारण करना तथा विनियामक न्यायशास्त्र का प्रयोग करना कठिन हो सकता है।

आर्थिक संवेष्टन

विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भंडार 4.34 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि के साथ 581.21 बिलियन अमरीकी डालर हुआ : भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े

9 अप्रैल, 2021 को समाप्त सप्ताह में देश की विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार में 4.34 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 5.81 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार में यह वृद्धि विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCAs) में वृद्धि के कारण हुई, जो समग्र प्रारक्षित भंडार का एक महत्वपूर्ण संघटक रही। विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी गई यूरो, पाउंड तथा येन जैसी गैर-अमरीकी यूनिटों में मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार के एक अन्य संघटक स्वर्ण भंडार में भी 1.30 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि परिलक्षित हुई जो बढ़कर 35.32 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह न्यूजलेटर के बाजार की खबरों के अधीन अत्यधिक स्पष्ट रूप से दृश्यमान है।

वित्त वर्ष 21 में बैंक ऋण वृद्धि घटकर 5% रह गई

वित्त वर्ष 21 में बैंक ऋण वृद्धि 6.8% से घटकर 5% रह गई जैसा कि न्यूजलेटर के बाजार की खबरें खंड में बैंक ऋण वृद्धि वाली तालिका में देखा जा सकता है। यह गिरावट कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा निर्मित रुकावटों के कारण आई। जहां वित्त वर्ष 21 में उद्योग, सेवाओं तथा खुदरा खंड को उधार में कमी आई, वहीं कृषि और सम्बद्ध खंड को उधार में वित्त वर्ष 21 में 12.1% की वृद्धि परिलषित हुई। यह वित्त वर्ष 20 में 4.1 % थी।

नयी नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम	**संस्था का नाम**
श्री टी॰ रबी शंकर	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 अप्रैल, 2021 के दिन बिलियन रुपए	23 अप्रैल, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4381700	584107
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4063227	537953
(ख) सोना	269822	35969
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11288	1505
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37368	4987

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मई, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.22700	0.29800	0.49670	0.73960	0.97400
जीबीपी	0.14250	0.3219	0.4805	0.6158	0.7295
यूरो	-0.50000	-0.470	-0.408	-0.335	**-0.255**
जापानी येन	-0.03250	-0.015	0.009	0.004	0.021
कनाडाई डालर	0.62000	0.658	0.959	1.212	1.411
आस्ट्रेलियाई डालर	0.12400	0.214	0.340	0.620	0.870
स्विस फ्रैंक	-0.66000	-0.633	-0.555	-0.465	-0.370
डैनिश क्रोन	-0.12440	-0.1185	-0.0764	-0.0176	0.0545
न्यूजीलैंड डालर	0.40500	0.485	0.663	0.870	1.085
स्वीडिश क्रोन	-0.02500	0.030	0.125	0.238	0.361
सिंगापुर डालर	0.38000	0.490	0.670	**0.900**	1.080
हांगकांग डालर	0.27000	0.340	0.530	0.775	0.975
म्यामार	2.03000	2.240	2.450	2.600	2.740

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

मुक्त बैंकिंग

मुक्त बैंकिंग बैंकों द्वारा यथार्थ समय भुगतानों, खाता धारकों के लिए अधिकाधिक वित्तीय पारदर्शिता विकल्पों, विपणन एवं प्रति-बिक्री के अवसर उपलब्ध कराने वाले अनुप्रयोगों और सेवाओं का सृजन करने वाले अन्य पक्ष के विकासकर्ताओं के साथ ग्राहक द्वारा अनुमत आंकड़ों को साझा करने तथा उनसे लाभ उठाने से संबन्धित होती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

लाभांश अदायगी अनुपात

लाभांश अदायगी अनुपात शेयरधारकों को कंपनी की निवल आय के अनुपात में भुगतान की जाने वाली लाभांश की रकम का अनुपात होता है। यह शेयरधारकों को लाभांशों के रूप में भुगतान किए जाने वाले अर्जनों का प्रतिशत होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि कोई कंपनी वृद्धि/विकास, ऋण चुकौती अथवा आरक्षित नकदी निधि (प्रति-धारित अर्जनों) में निवेश करने हेतु जितनी रकम अपने पास रखती है उसकी तुलना में शेयरधारकों को कितनी धनराशि वापस करती है

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	11 से 13 मई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रभावी शाखा प्रबंधन	13 से 15 मई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमणित बैंक प्रशिक्षक	18 से 20 मई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अनर्जक आस्ति प्रबंधन	20 से 22 मई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

कृषि वित्त	26 से 28 मई, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाओं का स्थगन

मई 2021 माह में निर्धारित जेएआईआईबी/ बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा/ एसओबी परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं और उनके कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करते हुये जून, 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षाओं की संशोधित तिथि बाद में घोषित की जाएगी तथा वह वेबसाइट पर सूचित की जाएगी। उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए पुन: पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथि के लिए उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छ: चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

मई, 2021 से आरंभ होने वाले 10वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैच की शुरूआत

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए एक व्यापक प्रबंधन पाठ्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के आनलाइन होने के कारण देशभर के अभ्यर्थी इसमें सप्ताह के अंत में घर बैठे भाग ले सकते हैं। सम्पूर्ण देश के प्रतिष्ठित संकाय सदस्य और उद्योग विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे। उक्त बैच के प्रारम्भ होने की अस्थायी तिथि 22 मई, 2021 है तथा **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 मई, 2021 है**। उपलब्ध सीटों की सख्या 50 है और वह पहले आए पहले पाये आधार पर उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक http:/iibf.org.in//postExamCCO2017.asp?ccono=79 देखें।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2021 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) की एक संयुक्त पहलकदमी है। इसका उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी व्यवहार्य शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना है जिनमें उद्योग को उल्लेखनीय रूप से योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 मई, 2021 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। परीक्षाएँ दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को आयोजित की जाती हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश एवं इस विधि की परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam_related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट" के अप्रैल- जून, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
"इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग - न्यू नार्मल"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर अप्रैल, 2021

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2021

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

41000.00
39000.00
37000.00

नवम्बर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	aprail 2021

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

कच्चा तेल - वृद्धि %

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

अक्तूबर 2020	नवंबर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00

नवम्बर 2020	दिसम्बर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021	अप्रैल 2021

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

समग्र जमा वृद्धि %

12.5
12
11.5
11
10.5
10
5.7
9.5

अक्तूबर 2020	नवम्बर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2021

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन मई, 2021